

# कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना

(बी० भी० सी० पटना-14)


Phone No- 0612-2225306/2221037

Fax No- 0612-2225306

Email-ID- dahopat@gmail.com

## निविदा सूचना

विभागीय राज्यादेश संख्या 2451 दिनांक 31.07.2017 के आलोक में निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना से आवंटन सं० 24 (नि०) दिनांक 04.08.2017 द्वारा प्राप्त आवंटन के तहत जिला पदाधिकारी, पटना के निर्देशानुसार पटना शहर की सड़कों पर यत्र-तत्र घुमने/रहनेवाली बेसहारा गायों को पकड़कर पटना अवस्थित श्री कृष्ण गौशाला, किला रोड/कटरा दिदारंगज, पटना सिटी आश्रय स्थल में रखे जाने की योजना के तहत गौशाला में रखे गए गायों एवं पटना जिला अर्न्तगत पशु क्रूरता के क्रम में पकड़े गए पशुओं को भरण-पोषण हेतु सूखे चारे के रूप में नेवारी कुट्टी, गेहूं भुसा, चोकर, चुन्नी के क्रय के लिए दर निर्धारण हेतु प्रकाशन की तिथि से 21वें दिन तक के अपराहन 3 बजे तक द्विलिफाफा पद्यती के आधार पर आपूर्तिकर्ता से सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। अंतिम तिथि तक प्राप्त निविदा को अगले कार्यदिवस के 11 बजे पूर्वाहन में जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय क्रय समिति एवं निविदा दाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। निविदा दाता/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदा सूचना की विस्तृत शर्तें एवं विवरणी पशु एवं मत्स्य संसाधन बिहार, पटना के वेबसाईट <http://ahd.bih.nic.in> पर एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना तथा निकटस्थ पशुपालन विभाग के स्थानीय कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना से प्राप्त की जा सकती है।



जिला पशुपालन पदाधिकारी  
पटना।



## निविदा की शर्तें

1. पटना शहरी क्षेत्र अर्न्तगत सड़कों पर यत्र-तत्र घुमने/रहने वाली बेसहारा गायों को पकड़कर श्री कृष्ण गौशाला, पटना सिटी में रखने की योजना एवं जिलाअर्न्तगत पशु क्रूरता के क्रम में पकड़े गये पशुओं को खिलाने के निमित्त पशु चारा (गेहूँ भूसा, पुआल कुट्टी, चोकर एवं चुन्नी) के दर निर्धारण के लिए प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता से निम्नांकित सामग्रियों के लिए सीलबन्द निविदा आमंत्रित कि जाती है।  
(क) - गेहूँ भूसा           (ग) गेहूँ चोकर  
(ख) - पुआल कुट्टी       (घ) दलहन चुन्नी
2. निविदा दाताओं से उपरोक्त वर्णित पशु चारा (गेहूँ भूसा, पुआल कुट्टी, गेहूँ चोकर, दलहन चुन्नी) हेतु द्विलीफाफा पद्यति के आधार पर निविदा सील बंद लिफाफा में आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को अलग-अलग सील बन्द कर एक बड़ा लिफाफा में सीलबन्द कर भेजना अनिवार्य होगा। संबंधित लिफाफे के उपर "तकनीकी निविदा" एवं "वित्तीय निविदा" अंकित कर इन दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर स्पीड पोस्ट/रजीस्टर्ड पोस्ट/हाथो-हाथ निविदा प्रकाशन की तिथि से 21वें दिन तक के 3 बजे अपराह्न तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदा प्राप्ति के दूसरे कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष निविदादाता/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कक्ष में खोला जाएगा। विधिवत रूप से प्राप्त सील बन्द निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
3. तकनीकी निविदा में निविदादाता को विगत तीन वर्षों में सरकारी/अर्धसरकारी/प्रतिष्ठित संस्थानों को आपूर्ति करने संबंधी क्रयादेश एवं अन्य साक्ष्य की छायाप्रति, वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति (यदि उपलब्ध हो)/पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तकनीकी निविदा के साथ यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता किसी सरकारी या अर्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।
4. तकनीकी निविदा में निविदादाता को 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) के अग्रधन की राशि (सुरक्षित जमा राशि) जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट (PAYBLE AT PATNA) या पांच वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। असफल निविदादाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी उनके अनुरोध पर लौटा दी जाएगी, जबकि सफल निविदादाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी संतोषजनक सामग्री आपूर्ति तक रोक कर रखी जायेगी। अग्रधनकी राशि पर किसी प्रकार का सूद देय नहीं होगा। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में सुरक्षित जमा राशि को जब्त करने के साथ ही भुगतान पर रोक लगायी जा सकती है। केन्द्रीय/राज्य क्रय संगठन/राष्ट्रीय लघु उद्योग में निबंधित आपूर्तिकर्ता को सुरक्षित जमा राशि में छूट प्राप्त करने हेतु निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को निविदा के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सैम्पल पारदर्शी थैला में अपने नाम, पता एवं मोबाईल नं0 अंकित करते हुये देना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात/प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य होगा कि निविदादाता को इस निविदा में अंकित सभी शर्तें मान्य हैं।
7. तकनीकी निविदा प्रकाशन तिथि के 21वें दिन के दूसरे कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न में जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना के कक्ष में जिला स्तर पर गठित तकनीकी निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें आपूर्तिकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का भाग लेना अनिवार्य होगा। विभागीय तकनीकी निविदा समिति द्वारा इस निविदा में अंकित शर्तों के अर्न्तगत तकनीकी रूप से सक्षम पाये जानेवाले निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोलने हेतु अनुशंसा की जायेगी।



8. वित्तीय निविदा में निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित पशु चारा (गेहूं भूसा, पुआल कुट्टी, गेहूं चोकर, दलहन चुन्नी) आपूर्ति करने हेतु पटना अवस्थित श्री कृष्ण गौशाला पटना सिटी एवं पशु क्रूरता के क्रम में पकड़े गये पशु चारा का शरण स्थली के लिए एक ही दर मान्य होगा, जिसमें परिवहन व्यय सम्मिलित हो। वित्तीय निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगा। निविदा में उक्त वर्णित पशु चारा (गेहूं भूसा, पुआल कुट्टी, गेहूं चोकर, दलहन चुन्नी) के पैकिंग की विवरणी भी अंकित करना अनिवार्य होगा। सामग्री का आपूर्ति संबंधित गौशाला/पशु शरण स्थली में करनी होगी।
9. तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा समीक्षोपरान्त प्रत्येक सामग्री का दर निर्धारित करने की कार्रवाई की जायेगी। इस जिला स्तरीय क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसके उपरान्त स्वीकृत निविदादाता को 3 दिनों के भीतर समविहित शर्तों के अर्न्तगत जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा के उपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी से प्राप्त अधियाचना (INDENT) के आधार पर विहित शर्तों के अर्न्तगत 24 (चौबीस) घंटा के अन्दर आपूर्ति करनी होगी। निर्गत आपूर्ति आदेश के अनुपालन में पशु चारा (गेहूं भूसा, पुआल कुट्टी, गेहूं चोकर, दलहन चुन्नी) ससमय संबंधित स्थलों पर जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित आपूर्तिकर्ता की होगी। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने पर दण्ड राशि (PENALTY) की वसूली करने के साथ-साथ काली सूची में दर्ज करने/वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना को सुरक्षित रहेगा। आपूर्ति किये गये सामग्रियों के विरुद्ध अनुमान्य राशि का भुगतान विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संगत मद के आवंटन से जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना द्वारा किया जायेगा।
10. जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मान्य होगा।
11. जिला स्तर पर गठित क्रय समिति को कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा पर जिला स्तरीय क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा विशेष परिस्थिति में स्वीकृत दर पर एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश दिया जा सकता है।
12. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला का निपटारा पटना स्थित न्यायालय के अर्न्तगत होगा।
13. आपूर्तिकर्ता को उनके द्वारा आपूर्ति की गई पशु चारा (गेहूं भूसा, पुआल कुट्टी, गेहूं चोकर, दलहन चुन्नी) का गुणवत्ता प्रमाण पत्र संबंधित स्थल पर प्रतिनियुक्त विभागीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
14. किसी भी परिस्थिति में गेहूं भूसा, पुआल कुट्टी, गेहूं चोकर, दलहन चुन्नी का दर स्थानीय बाजार से अधिक नहीं होना चाहिए, तत्संबंधी शपथ पत्र आपूर्तिकर्ता को देना अनिवार्य होगा।
15. अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में निविदा के माध्यम से दर का निर्धारण होने तक चयनित आपूर्तिकर्ता चारा का आपूर्ति करते रहेंगे।



जिला पशुपालन पदाधिकारी  
पटना।